प्रेस नोट जनपद बलिया
दिनांक 19.01.2026

थाना नरही जनपद बलिया पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 ट्रक टाटा रजि0 नं0 NL01AB6544 में 110 बण्डल अण्डे के गत्ते के पीछे लदी कुल 9086.4 लीटर (कीमत 75,00000-/ पचहत्तर लाख रूपये) अवैध अंग्रेजी शराब को किया गया बरामद।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये चलाये जा रहे अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी बलिया श्री कृपा शंकर के निकट पर्यवेक्षण व , क्षेत्राधिकारी सदर श्री राकेश कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना नरही पुलिस टीम को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.01.2026 थानाध्यक्ष नरही वीरेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 रमेश यादव, का0 रोहित मौर्या, हे0का0 सूर्यनाथ यादव के साथ कानून एवं शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में उजियार घाट कोरण्टाडीह पर मौजूद थे कि सूचना प्राप्त हुई कि पूर्वांचल एक्स्प्रेसवे होते हुए गाजीपुर की तरफ से शराब लदी एक ट्रक नं0 NL01AB6544 आ रही थी, जो भरौली होते हुए बिहार की तरफ जाने वाली थी, लेकिन बक्सर बार्डर पर चेकिंग के चलते अपनी गाड़ी को बलिया वाले रोड पर घुमाकर लेकर जा रहा है, यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है, इस सूचना पर पूर्व से क्षेत्र में भ्रमणशील थाना नरही पुलिस टीम के उ0नि0 धर्मदेव चौहान, उ0नि0 ज्ञानप्रकाश तिवारी को साथ लेकर ट्रक का पीछा करते करते सोहांव पेट्रोल पम्प के पास पहुँचकर ट्रक को पकड़ लिया गया तथा मौके से **अभियुक्त अचला राम पुत्र भगवाना राम निवासी- मिठी बेरी, गोलिया जैतमाल जिला बाड़मेर राजस्थान उम्र करीब 27 वर्ष** को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 ट्रक टाटा रजि0 नं0 NL01AB6544 में लदी रायल स्टैग 750 ML- 140 पेटी प्रत्येक में 12 पीस, रायल स्टैग 180 ML- 135 पेटी प्रत्येक में 48 पीस, इमपीरियल ब्लू 750 ML- 200 पेटी प्रत्येक में 12 पीस, इम्पीरियल ब्लू 375 ML- 150 पेटी प्रत्येक में 24 पीस, इम्पीरियल ब्लू 180 ML- 200 पेटी प्रत्येक में 48 पीस, मेगडावल नं01 750 ML- 100 पेटी प्रत्येक में 12 पीस, मेगडावल नं01 375 ML- 50 पेटी प्रत्येक में 24 पीस, मेगडावल नं01 180 ML- 50 पेटी प्रत्येक में 48 पीस कुल 9086.4 लीटर शराब (कीमत 75,00000-/ पचहत्तर लाख रूपये) है, एवं 110 बण्डल अण्डे का गत्ता बरामद हुआ । बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 06/2026 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। थाना स्थानीय पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

पंजीकृत अभियोग -
मु0अ0सं0 06/2026 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना नरही जनपद बलिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-
1. अचला राम पुत्र भगवाना राम निवासी- मिठी बेरी, गोलिया जैतमाल जिला बाड़मेर राजस्थान उम्र करीब 27 वर्ष

बरामदगी:-
1. रायल स्टैग 750 ML- 140 पेटी प्रत्येक में 12 पीस,
2. रायल स्टैग 180 ML- 135 पेटी प्रत्येक में 48 पीस,
3. इमपीरियल ब्लू 750 ML- 200 पेटी प्रत्येक में 12 पीस,
4. इम्पीरियल ब्लू 375 ML- 150 पेटी प्रत्येक में 24 पीस,

5. इम्पीरियल ब्लू 180 ML- 200 पेटी प्रत्येक में 48 पीस,
6. मेगडावल नं01 750 ML- 100 पेटी प्रत्येक में 12 पीस,
7. मेगडावल नं01 375 ML- 50 पेटी प्रत्येक में 24 पीस,
8. मेगडावल नं01 180 ML- 50 पेटी प्रत्येक में 48 पीस, (कुल 9086.4 लीटर शराब जिसकी अनुमानित कीमत 7500000 रूपये)
9. 110 बण्डल अण्डे का गत्ता

बरामद करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष नरही श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह थाना नरही जनपद बलिया।
2. उ0नि0 श्री धर्मदेव चौहान थाना नरही जनपद बलिया।
3. उ0नि0 श्री ज्ञानप्रकाश तिवारी थाना नरही जनपद बलिया।
4. हे0का0 रमेश यादव थाना नरही जनपद बलिया।
5. का0 रोहित मौर्या थाना नरही जनपद बलिया।

सोशल मीडिया सेल
बलिया पुलिस।

TATA

TATA